भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4024

दिनांक 19 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण का लक्ष्य

4024. श्री प्रदीप कुमार सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं:

(ख) देश भर में विद्युतीकरण के अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का लक्ष्य हासिल कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो देश के सभी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिजली आपूर्ति प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न कार्यों के लिए स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा दिया है ताकि उन्हें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी आबादी वाले गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों में दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 18,374 गांव विद्युतीकृत कर दिए गए (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** पर है)। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई और उसके बाद सौभाग्य के तहत, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूरा कर लिया गया था। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-II** पर है)। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की चल रही स्कीम के अंतर्गत, सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

को आगे भी सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी चिन्हित घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत आदिवासी घरों को स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए मंजूरी दी जा रही है। अब तक 9,49,548 घरों के विद्युतीकरण के लिए 4,281 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-III** पर हैं)। इसके अतिरिक्त, नई सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत, 9,863 घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण के लिए 49 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-IV** पर है)।

(ग) और (घ) : विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) में प्रावधान है कि वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करेगा। तथापि, आयोग कुछ श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्धारित कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के लिए लागू हैं।

भारत सरकार ने पूरे देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

i. वर्ष 2014 से अब तक 2,22,500 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है, जिससे हमारा देश विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता वाले देश में परिवर्तित हो गया है। अक्टूबर 2024 में कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता 4,54,452 मेगावाट है।
ii. वर्ष 2014 से अब तक 1,98,970 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें, 7,53,799 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता जोड़ी गई है, जिससे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,18,740 मेगावाट अंतरित करने की क्षमता प्राप्त हुई है।
iii. वितरण क्षेत्र में, डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और आईपीडीएस स्कीमों के अंतर्गत 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वित की गईं, जिनमें 2,927 नए उप-स्टेशन जोड़े गए, 3,965 मौजूदा उप-स्टेशनों को अपग्रेड किया गया, 6,92,200 वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए, 7833 मिश्रित लोड फीडरों का फीडर पृथक्करण किया गया और 8.5 लाख सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) एचटी और एलटी लाइनों को जोड़ा/अपग्रेड किया गया।

इन उपायों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता वित्त वर्ष 2015 में 12.5 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 21.9 घंटे हो गई है। शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 23.40 घंटे हो गई है।

इसके अतिरिक्त, आरडीएसएस के अंतर्गत 2.77 लाख करोड़ रुपये के वितरण अवसंरचना के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है, जो विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान करने में वितरण यूटिलिटी के प्रयासों को पूरक बनाएंगे।

(ङ) : उत्तर बिहार विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अररिया संसदीय क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु विभिन्न कार्यों के लिए संस्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**संस्वीकृत निधि**	**आवंटित निधि**	**उपयोग की गई निधि**
पिछले पांच वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24	490.27 करोड़	262.33 करोड़	262.33 करोड़
वर्तमान वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25	-	23.54 करोड़	23.54 करोड़

लो.स.अता.प्र.सं.4024

अनुबंध-I

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आबादी वाले संगणना गांवों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**विद्युतीकृत गावों की संख्या**
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू और कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	**18,374**

लो.स.अतारां.प्र.सं.4024

अनुबंध-II

सौभाग्य अवधि के दौरान विद्युतीकृत घरों की संख्या

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**विद्युतीकृत घरों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुदुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		**2,86,13,424**

*** सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं**

लो.स.अतारां.प्र.सं.4024

अनुबंध-III

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपये)	कुल संस्वीकृत घर	दिनांक 22.11.2024 तक विद्युतीकृत घर
क.	**अतिरिक्त घर**				
1	राजस्थान	459.18	275.51	1,90,959	64,368
2	मेघालय	435.70	392.13	50,501	0
3	मिजोरम	79.90	71.91	15,167	0
4	नागालैंड	69.55	62.59	10,004	0
5	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	2,51,487	0
6	आंध्र प्रदेश	49.24	29.54	15,475	12,740
7	झारखंड	7.47	4.48	872	0
8	जम्मू एवं कश्मीर	77.10	69.39	10,730	0
9	बिहार	238.86	143.31	35,467	0
10	असम	785.55	706.99	1,27,111	0
11	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.40	6,506	0
12	मणिपुर	214.44	193.00	36,972	0
13	छत्तीसगढ	316.51	189.90	63,161	0
	कुल (क)	3,711.65	2,739.79	8,14,412	77,108
ख.	**वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत**				
1	हिमाचल प्रदेश*	6.08	5.47	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683	0
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154	0
	कुल (ख)	39.34	35.41	2,837	0
ग.	**प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत**				
ग1	आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत				
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	25,054	24,057
2	बिहार	0.28	0.17	51	0
3	छत्तीसगढ	38.17	22.90	7,077	4,323
4	झारखंड	74.13	44.47	12,442	62
5	मध्य प्रदेश	143.39	86.02	29,290	9,445
6	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556	9,216
7	राजस्थान	40.34	24.20	17,633	15,667
8	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615	921
9	केरल	0.86	0.52	345	309
10	तमिलनाडु	29.89	17.94	10,673	4,851
11	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884	3,884
12	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664	5,329
13	उत्तराखंड	0.60	0.54	669	669
14	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316	195
	उप योग (ग1)	**516.15**	**328.31**	**1,29,269**	**78,928**
ग2	**राज्य योजना के अंतर्गत**				
1	गुजरात	0	0	0	6,626
2	ओडिशा	0	0	0	1,326
3	पश्चिम बंगाल	0	0	0	3,372
	उप योग (ग2)	0	0	0	11,324
	कुल (ग=ग1+ग2)	516.15	328.31	1,29,269	90,252
घ.	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत				
1	छत्तीसगढ़	11.98	7.19	2,550	0
2	महाराष्ट्र	2.07	1.24	480	0
	कुल (घ)	**14.05**	**8.43**	**3,030**	**0**
	महा योग(क+ख+ग+घ)	**4,281.19**	**3,111.93**	**9,49,548**	**1,67,360**

*** वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए संस्वीकृत कार्य**

लो.स.अतारां.प्र.सं.4024

अनुबंध-IV

नई सौर विद्युत स्कीम के तहत संस्वीकृत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित घरेलू विद्युतीकरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**संस्वीकृत घरों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	1,675
2.	छत्तीसगढ	1,578
3.	झारखंड	2,342
4.	कर्नाटक	179
5.	मध्य प्रदेश	2,060
6.	तेलंगाना	326
7.	त्रिपुरा	1,703
कुल		**9,863**

****